न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 479 सन 2019

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. वकीलचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजवन्ती पुत्री ओमप्रकाश पत्नि सतवीर जाति जाट निवासी बारासरी तहसील नाथुसरी चौपटा।
3. सुशीला पुत्री ओमप्रकाश पतिन दारासिंह जाति जाट निवासी बरासरी तहसील नाथुसरी चोपटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 30/29 के कुल 12 किता की कुल 2.5290हैक्‍ मे से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 29/23 की कुल 0.759हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा , खाता संख्या 30/24 की कुल 0.0500 हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 85/86 की कुल 9.5500हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

चक 6 बारानी की भूमि पूर्व में वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जीवन पुत्र भागु के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 85/86 की कुल 9.5500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

चक 6 बारानी की भूमि पूर्व में वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 85/86 की कुल 9.5500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

नामान्तकरण संख्या 399 रोही मौजा 6 बारानी के अनुसार वाद भूमि जीवन पुत्र भागु के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के नाम से दर्ज है वादी के दादा जीवन पुत्र भागु के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोहर

अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के ,खाता संख्या 85/86 की कुल 9.5500हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है के स्थान पर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता एवं चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 30/29 की 2.5290हैक में 1/3 हिस्सा व चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 29/23 की कुल 0.759 हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. वकीलचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 राजवन्ती पुत्री ओमप्रकाश पत्नि सतवीर जाति जाट निवासी बारासरी तहसील नाथुसरी चौपटा।
3 सुशीला पुत्री ओमप्रकाश पतिन दारासिह जाति जाट निवासी बरासरी तहसील नाथुसरी चोपटा
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 479 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के ,खाता संख्या 85/86 की कुल 9.5500हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है के स्थान पर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता एवं चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 30/29 की 2.5290हैक में 1/3 हिस्सा व चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 29/23 की कुल 0.759 हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)